भारत सरकार

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. 124

मंगलवार, दिनांक 11 मार्च, 2025 को उत्तर दिए जाने हेतु

<u>देश में सौर ऊर्जा परियोजनाएं</u>

*124. श्री बीरेन्द्र प्रसाद बैश्यः क्या नवीन और नवीकरणीय ऊर्जा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) देश भर में कितनी सौर ऊर्जा परियोजनाएं चल रही हैं;

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर ऊर्जा परियोजनाओं को कार्यान्वित करने हेतु रूपरेखा क्या है और क्या इन परियोजनाओं को शुरू करने के लिए किन्हीं विशिष्ट स्थानों का चयन किया गया है; और

(ग) इन परियोजनाओं के लिए राज्य-वार बजट आवंटन सहित तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

नवीन एवं नवीकरणीय ऊर्जा, केंद्रीय उपभोक्ता मामले और खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण मंत्री

(श्री प्रल्हाद जोशी)

(क) से (ग): एक विवरण सभा पटल पर रखा गया है।

विवरण

'देश में सौर ऊर्जा परियोजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.03.2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 124 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) दिनांक 31.01.2025 की स्थिति के अनुसार, देश में कुल मिलाकर 100.33 गीगावाट क्षमता की सौर विद्युत परियोजनाएं कार्यशील हैं।

(ख) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश में सौर ऊर्जा के विकास को बढ़ावा देने के लिए सरकार ने समय-समय पर विभिन्न योजनाओं की शुरुआत की है। पूर्वोत्तर क्षेत्र में कार्यशील योजनाओं की सूची अनुलग्नक में दी गई है।

(ग) इन योजनाओं के लिए राज्य-वार बजट आवंटित नहीं किया जाता है। तथापि, वित्त वर्ष 2024-25 के लिए सौर ऊर्जा शीर्ष के अंतर्गत 13115.43 करोड़ रु. का बजट आवंटित किया गया है, जिसमें से पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए 442.02 करोड़ रु. आवंटित किए गए हैं।

अनुलग्नक

'देश में सौर ऊर्जा परियोजनाएं' के संबंध में पूछे गए दिनांक 11.03.2025 के राज्य सभा तारांकित प्रश्न सं. 124 के भाग (ख) के उत्तर में उल्लिखित अनुलग्नक

पूर्वोत्तर क्षेत्र में सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने के लिए विभिन्न योजनाओं की सूची

i. पीएम-कुसुम योजनाः

प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाभियान (पीएम-कुसुम) योजना, लघु ग्रिड कनेक्टेड सौर विद्युत संयंत्रों (घटक-क) को बढ़ावा देने, स्टैण्ड-अलोन सौर ऊर्जा चालित कृषि पंपों की स्थापना (घटक-ख) और फीडर-स्तरीय सौरीकरण सहित मौजूदा ग्रिड-कनेक्टेड कृषि पंपों के सौरीकरण (घटक-ग) के लिए एक प्रमुख कार्यक्रम है।

पूर्वोत्तर क्षेत्र (एनईआर के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए)/प्रोत्साहन निम्नानुसार हैः-

क. घटक-क के तहतः किसानों की बंजर/परती/चारागाह/दलदली भूमि पर विकेन्द्रीकृत ग्राउंड/स्टिल्ट माउंटेड सौर विद्युत संयंत्रों की स्थापना के लिए डिस्कॉम को पांच वर्षों के लिए 0.40 रु. प्रति यूनिट की दर से खरीद आधारित प्रोत्साहन (पीबीआई) प्रदान किया जाएगा। ऐसे संयंत्र व्यक्तिगत किसान, सौर विद्युत डेवलपर, सहकारी समितियाँ, पंचायतें और किसान उत्पादक संगठन द्वारा स्थापित किए जा सकते हैं। डिस्कॉम को प्लांट के वाणिज्यिक संचालन की तिथि से पांच वर्ष की अवधि के लिए पीबीआई दिया जाता है। इसलिए, डिस्कॉम को देय कुल पीबीआई 33 लाख रु. प्रति मेगावाट तक है।

ख. घटक-ख और घटक-ग दोनों के तहत 7.5 एचपी क्षमता तक के पूर्वोत्तर राज्य/पहाड़ी/द्वीपों में कृषि पंप की स्थापना करने/कृषि पंपों का सौरीकरण करने के लिए सभी व्यक्तिगत किसानों को बेंचमार्क लागत या निविदा लागत का 50 प्रतिशत सीएफए, जो भी कम हो, प्रदान किया जाता है। इसके अलावा, सीएफए 15 एचपी तक की पंप क्षमता के लिए उपलब्ध होगा। तथापि, यह राज्य में कुल स्थापनाओं के 10 प्रतिशत तक सीमित होगा।

ग. घटक-ग के अंतर्गत फीडर स्तरीय सौरीकरण के लिए सौर विद्युत संयंत्र की लागत 3.5 करोड़ रु./मेगावाट को आधार मानते हुए सीएफए की गणना की जाती है। अतः, पूर्वोत्तर राज्य को 1.75 करोड़ रु./मेगावाट का सीएफए प्रदान किया जा सकता है।

ii. पीएम सूर्य घरः मुफ्त बिजली योजनाः

इस योजना में रूफटॉप सौर प्रणाली (आरटीएस) की स्थापना के लिए केन्द्रीय वित्तीय सहायता (सीएफए) प्रदान करने की व्यवस्था है। सीएफए 3 किलोवाट तक सीमित है और विवरण नीचे दिया गया हैः-

क्र.सं.	आवासीय खंड का प्रकार	सीएफए	सीएफए (विशेष श्रेणी के राज्य)
1	आवासीय क्षेत्र (प्रथम 2 किलोवाट पीक)	30,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	33,000 रु. प्रति किलोवाट पीक
2	आवासीय क्षेत्र (अतिरिक्त 1 किलोवाट पीक)	18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक
3	आवासीय क्षेत्र (3 किलोवाट पीक से अधिक)	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं	कोई अतिरिक्त सीएफए नहीं
4	समूह आवासीय सोसायटी/आवासीय कल्याण समिति (जीएचएस/ आरडब्ल्यूए) इत्यादि के लिए साझा सुविधाओं हेतु 500 किलोवाट पीक तक	18,000 रु. प्रति किलोवाट पीक	19,800 रु. प्रति किलोवाट पीक

*विशेष श्रेणी राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों (उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू एवं कश्मीर, लद्दाख, सिक्किम सहित पूर्वोत्तर के राज्य, अंडमान और निकोबार तथा लक्षद्वीप संघ राज्य क्षेत्र) के लिए बेंचमार्क लागत 10 प्रतिशत अधिक है।

iii. सौर पार्क योजनाः

सौर पार्क योजना के तहत विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने (प्रति सौर पार्क 25 लाख रु. तक) और इन्फ्रास्ट्रक्चर विकास (20 लाख रु. प्रति मेगावाट अथवा परियोजना लागत का 30 प्रतिशत, जो भी कम हो) के लिए सहायता प्रदान की जाती है।

iv. प्रधानमंत्री जनजातीय आदिवासी न्याय महाभियान (पीएम-जनमन) और धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के तहत नई सौर विद्युत योजना (जनजातीय और पीवीटीजी बस्तियों/गांवों के लिए)**:**

इस योजना के अंतर्गत जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा चिह्नित जनजातीय और पीवीटीजी क्षेत्रों में एक लाख गैर-विद्युतीकृत घरों (एचएच) को ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से विद्युतीकृत किया जाएगा। इस योजना में पीएम-जनमन के तहत अनुमोदित पीवीटीजी क्षेत्रों में 1500 बहुउद्देश्यीय केन्द्रों (एमपीसी) में ऑफ-ग्रिड सौर प्रकाश व्यवस्था उपलब्ध कराने का प्रावधान भी शामिल है। इसी प्रकार, इस योजना में धरती आबा जनजातीय ग्राम उत्कर्ष अभियान (डीए जेजीयूए) के तहत स्वीकृत ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियों के माध्यम से 2000 सार्वजनिक संस्थाओं के सौरीकरण का प्रावधान भी शामिल है। ऑफ-ग्रिड सौर प्रणालियाँ केवल वहीं प्रदान की जाएंगी जहाँ ग्रिड के माध्यम से विद्युत आपूर्ति तकनीकी-आर्थिक रूप से व्यवहार्य नहीं है।
